Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में आबकारी निरीक्षक व कम्प्यूटर ऑपरेटर फोन–पे के द्वारा 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये राकेश खत्री आबकारी निरीक्षक सर्कल बाड़मेर व बांकाराम कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय आबकारी निरीक्षक को परिवादी से फोन–पे के द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि '' मेरे लाईसेंसीकृत वाईन ठेके को सुचारू रूप से चलने देने की एवज में आबकारी निरीक्षक सर्कल बाडमेर श्री राकेश खत्री द्वारा अन्यत्र ट्रांसफर हो जाने के बाद भी दो माह की बकाया मासिक बंधी 20 हजार रूपये बतौर रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर** के **उप महानिरीक्षक श्री कैलाशचन्द्र बिश्नोई** के निर्देशन में एसीबी बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय अपनी टीम के बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश खत्री पुत्र श्री रघुमल खत्री जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी पांच बत्ती चौराहा बाड़मेर, हाल आबकारी निरीक्षक सर्कल बाड़मेर व बांकाराम पुत्र सरदाराराम जाति देवासी निवासी सारणों का तला होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर, हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय आबकारी निरीक्षक को, परिवादी से आरोपी बांकाराम के फोन–पे अकाऊण्ट में **15 हजार रूपये रिश्वत** राशि लेने पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।